अतवान - गिरधर कँवर बनाम राजस्थान सरकार
मुकदमा नंबर - 407/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-12-23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित । प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थी की राजस्व गांव दन्ताला पटवार मण्डल देवन्दी तहसील सिवाना में खसरा संख्या 98,172/87 रकबा 22.04 बीघा व 14.07 बीघा भूमि अवस्थित है ,जो प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त भूमियों की मौके पर किस्म शुरू से मगरा रही है लेकिन तत्कालीन पटवारी द्वारा उक्त भूमि की किस्म चाही सोयम व चाही दोयम दर्ज कर दी गई उक्त भूमि संवत 2050 से आज दिनांक तक पडत असिंचित है तथा मौके पर भूमि का स्वरूप मगरा है पटवारी द्वारा उक्त भूमि की किस्म चाही दर्ज कर दी गई है जिसे दुरस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। हमने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों छांयाप्रति का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। कानूनी प्रावधानो के अनुसार किसी भूमि के किस्म परिवर्तन राज्य सरकार में निहित है। उपखण्ड अधिकारी किस्म परिवर्तन के लिए सक्षम नहीं है। लिहाजा क्षेत्राधिकार विहीनता के आधार पर आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर) Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Bishnoi Date: 2024.01.22 09:38:24 IST Reason: SelfAttested	